तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	अह[illegible] हुक्म की [illegible] में जारी हुए [illegible]
	2017/00278	
21/2/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली सूचना दिनांक-----28-3-18-----को पेश हो।	
28/3/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज...कार्य स्थगित...के कारण कोई [illegible] नहीं रखा है। अतः पूर्ववत [illegible] दि0...7/5/18 को पेश हो। अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें।	
	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 28-5-18 ~~-------~~को पेश हो। केम्प कोट सुवा	
28/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प कोटसुवां में पेश हुई। वादी एवं विवादित आराजी का सहखातेदार वादी का भाई गजेन्द्र मजमें आम में उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी ने कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 25 रकबा 2.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम निरंजन दर्ज है। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात् में पवन अंकित है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम निरंजन के स्थान पर पवन दर्ज किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी के सहखातेदार प्रतिवादी नं0 1 गजेन्द्र ने इकबालिया जवाब एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा वादी का वास्तविक नाम पवन होनें के कथन किये, साथ ही प्रतिवादी नं0 1 नें वादी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में निरंजन के स्थान पर पवन दर्ज किय जानें की सहमति प्रकट की तथा आदेशिका पर सहमति बाबत् हस्ताक्षर किये। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं ग्राम पंचायत	Pawan Gajendra Gajendra Nagar

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2017/00278	

कोटसुवां से जारी प्रमाण पत्र में भी वादी को निरंजन एवं पवन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होनें की पुष्टि की है। जिससे प्रमाणित होता है कि वादी का नाम पवन है, जिसे वादी दुरूस्त करवानें का अधिकारी है।

अतः वाद वादी सहखातेदार की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोटसुवा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 25 रकबा 2.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी का नाम निरंजन पुत्र गिरराज के स्थान पर पवन उर्फ निरंजन पुत्र गिरराज दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।